दूरभाषः 05278–245957
फैक्सः 05278–248123

डॉ0 राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ0प्र0)

पत्रांकः लो0अ0वि0 / सम्ब0 / 122 / 2019 दिनांकः 10 जुलाई, 2019

सेवा में,

प्रबन्धक / प्राचार्य,
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय (राजकीय / अनुदानित एवं गैर अनुदानित),
डॉ0 राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय,
फैजाबाद।

विषयः दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 49 सन् 2016) की धारा 32 (1) एवं धारा 32 (2) के अन्तर्गत समस्त राजकीय एवं राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त उच्च शिक्षण संस्थाओं में दिव्यांगजन के लिये प्रवेश हेतु सीटों का आरक्षण एवं ऊपरी आयु सीमा में छूट अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 644 / सत्तर–1–2019–यू0ओ0 15 / 2019, दिनांक 09 जुलाई, 09 जुलाई, 2019 की छायाप्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि उक्त शासनादेश में विहित प्राविधानों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।

(राम चन्द्र अवस्थी)
कुलसचिव

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–1, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को सूचनार्थ।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. विश्वविद्यालय परिसर संचालित पाठ्यक्रमों के विभागाध्यक्ष / निदेशक / समन्वयक को अनुपालनार्थ।
4. प्रोग्रामर को इस आशय से प्रेषित कि उक्त पत्र को महाविद्यालयों के कालेज–लाग–इन पर तथा विश्वविद्यालय की बेवसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
5. समस्त अधिकारीगण को सूचनार्थ।
6. निजी सचिव, कुलपति को कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
7. आशुलिपिक, प्रति–कुलपति जी।
8. पत्रावली।

(राम चन्द्र अवस्थी)
कुलसचिव

संख्या– 644 /सत्तर–1–2019–यू0ओ0 15/201

प्रेषक,

डॉ0 अमित भारद्वाज,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलपति,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग–1 लखनऊ : दिनांक : 09 जुलाई, 2019

विषयः– दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 49 सन् 2016) की धारा 32 (1) एवं धारा 32 (2) के अन्तर्गत समस्त राजकीय एवं राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त उच्च शिक्षण संस्थाओं में दिव्यांगजन के लिये प्रवेश हेतु सीटों का आरक्षण एवं ऊपरी आयु सीमा में छूट अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या–49 सन् 2016) की धारा 32(1) एवं धारा 32(2) के प्राविधान निम्नवत् उद्धरित हैं :–

32. (1) All Government institutions of higher education and other higher education institutions receiving aid from the Government shall reserve not less than five per cent seats for persons with benchmark disabilities;

(2) The persons with benchmark disabilities shall be given an upper age relaxation of five years for admission in institutions of higher education.

2– दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के उक्त प्राविधानों के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत स्थापित समस्त राज्य विश्वविद्यालयों एवं समस्त राजकीय एवं राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त उच्च शिक्षण संस्थाओं में सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु 5 प्रतिशत से अनाधिक सीट आरक्षित किये जाने तथा ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट अनुमन्य किये जाने का निर्णय लिया गया है।

यह आदेश उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 66–क के अन्तर्गत राज्य सरकार को प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निर्गत किया जा रहा है। अतः दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या–49 सन् 2016) की धारा 32(1) एवं धारा 32(2) के प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

(डॉ0 अमित भारद्वाज)
संयुक्त सचिव

संख्या– 645 (1)/सत्तर–1–2019 तद्दिनांक–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) कुलाधिपति के अपर मुख्य सचिव, राजभवन, लखनऊ।
(2) निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(3) कुलसचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
(4) अपर सचिव,उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश।
(5) उच्च शिक्षा विभाग के समस्त अनुभाग।
(6) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हरेन्द्र कुमार सिंह)
अनु सचिव।

s.o/g.o-3/c-3